झारखंड राज्य का गठन

सर्वप्रथम आदिवासियों में मद्यपान की बुराई रोकने तथा महाजनों से उन्हें मुक्त कराने के लिए सहकारी समिति गठित की गई। 1906 ई० में रोमन कैथोलिक सहकारिता समाज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। शिक्षा के प्रसार के लिए भी समिति बनाई गई। ऐंग्लिकन मिशन के के०जे० बारथोलोमेव ने भी इसे मदद की।

1920–38 ई० तक 'छोटानागपुर उन्नति समाज' ने लोगों के बीच पुनर्जागरण का कार्य किया। इस समाज के कार्यकर्ताओं में थेबल उराँव, बंदी उराँव, पॉल दयाल, जुवेल लकड़ा इत्यादि प्रमुख थे। "छोटानागपुर उन्नति समाज" का नेतृत्व आदिवासी शिक्षकों तथा धर्मप्रचारकों द्वारा किया गया तथा शिक्षित आदिवासियों के लिए नियोजन, वैधानिक निकायों तथा नौकरियों में आरक्षण तथा बंगाल व उड़ीसा को जोड़कर एक उप-राज्य के निर्माण की मांग की गई।

छोटानागपुर उन्नति समाज के दो मुख्य उद्देश्य थे –

(1) आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारना

2) वर्तमान पिछड़ेपन की स्थिति से छोटानागपुर को ऊपर उठाना।

छोटानागपुर के तत्कालीन नेताओं ने साइमन कमीशन तथा क्रिप्स मिशन के भारत आगमन पर

आदिवासियों के लिए अलग राज्य की स्थापना की मांग पहली बार उठाई थी।
लेकिन छोटानागपुर उन्नति समाज का नेतृत्व कुछ पढ़े-लिखे लोगों के हाथ में था इसलिए वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक था इसी मतभेद के कारण यह समाज टूट गई और "किसान सभा" की बनाई गई। अब दोनों संगठन समानान्तर चलने लगे। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थेबल उरांव थे और सचिव पॉल दयाल।
इसी समय रांची के कैथलिकों ने "छोटानागपुर कैथोलिक सभा" की स्थापना की जो जल्द ही छोटानागपुर की घाटियों में फैल गई। इसके प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा और प्रथम सचिव इग्नेश बेक हुए। प्रारंभ में तो इस सभा का उद्देश्य आदिवासियों का पुनरुत्थान करना था बाद में यह राजनीतिक हो गई। इस सभा के सचिव संसदीय चुनाव जीतकर 1935-40 ई० तक तत्कालीन संसद के सदस्य भी रहे और उस काल में अलग राज्य की मांग करते रहे। लेकिन जब इनकी भाषण में कांग्रेसियों के विरुद्ध होने की गंध मिलती थी वे जल्द ही मित्रता के सम्पर्क में आ गए।
इससे कैथोलिक पादरी तो खुश हुए लेकिन स्थानीय आदिवासी क्षुब्ध हो गए। अतः वे आदिवासी नेताओं ने कैथोलिक सभा से अपना नाता तोड़ "छोटानागपुर आदिवासी महासभा" की स्थापना कर डाली। 1939 ई० में आदिवासी महासभा के क्षितिज पर जयपाल सिंह का उदय हुआ।
जयपाल सिंह ने आदिवासी और गैरआदिवासी

को मिलाकर पूरे छोटानागपुर के उत्थान की बात सोची। इसी सोच के साथ 19 और 20 जनवरी 1934 ई० को जमशेदपुर में "आदिवासी महासभा" की बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि (1) इस महासभा में गैर आदिवासियों को भी सदस्यता दी जाएगी।

2) छोटानागपुर आदिवासी महासभा का नाम बदलकर "झारखंड पार्टी" कर दिया जाय। और तभी से यह पूर्व कल्पना एक राजनैतिक पार्टी के रूप में सामने आया।

इसका चुनाव चिन्ह सर्वसम्मति से मुर्गा रखा गया।

1934-35 ई० तक छोटानागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में शाखाएं खोली गई।

1935 ई० में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का राँची आगमन हुआ, उसके समक्ष झारखंड पार्टी ने "झारखंड प्रांत अलग करो" का नारा बुलंद किया। राज्य के पुनर्गठन समिति ने पृथक झारखंड राज्य की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। झारखंड पार्टी पर यह आरोप लगने लगा कि इस पार्टी को मिशनरियों का समर्थन प्राप्त है। ~~इसकी~~ इसकी पुष्टि 1954 ई में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गठित "नियोगी कमिटी" ने की।

लेकिन 1963 ई में बिहार (अविभाजित) के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर जयपाल सिंह और सुशील कुमार बागे के प्रयासों से झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। छोटानागपुर की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। जयपाल सिंह मंत्री बने। कृष्णवल्लभ सहाय के मुख्यमंत्री के काल में सुशील कुमार बागे भी मंत्री बनाए गए।

कुछ ही दिनों बाद झारखंड पार्टी के कई टुकड़े हो गए और सभी अपने को असली झारखंड पार्टी मानने लगे। 28 दिसम्बर, 1967 को अखिल झारखंड पार्टी का गठन किया गया जो 1969-70 ई० में अपने नेताओं के आपसी मतभेद के कारण टूट गई।

1969 ई० में बिहार (अविभाजित) में मिली-जुली सरकार बनी। एन० ई० होरो को शिक्षा मंत्रालय मिला लेकिन सरकार नहीं चली और दो महीने में टूट गई। लेकिन एन० ई० होरो राज्य और केन्द्र सरकार को जोर देकर माँग करते रहे कि छोटानागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना हो, जिसका नाम झारखंड रखा जाए।

इसी समय बिरसा सेवा दल नामक एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन उभर कर सामने आया जिसका नेतृत्व शिक्षित जनजातियाँ जिनमें अधिकांश ईसाई थे कर रहे थे। इस दल के विकास के दो चरण थे। पहला 1967 से 1969 ई० तक इसका युद्धकारी चरण रहा। जिसमें हिंसात्मक तरीकों की वकालत की गई। इस दल की ~~अलगाव~~ माँग बिरसा सेवा दल का एक पृथक राज्य, और छोटानागपुरियों का निष्कासन, भूमि संबंधों में सुधार तथा महाजनों के विरुद्ध कार्रवाई की माँग करना मुख्य उद्देश्य था।

1967 में इसके दूसरे चरण का आविर्भाव हुआ। हिंसात्मक घटनाऐं समाप्त हो गई ~~बाद में चलकर यह~~ तथा यह दल अपने को संवैधानिक भूमिका अदा करने तथा

संघर्ष के शांतिपूर्ण विधियों को अपनाने को प्रतिबद्ध हो गया। किंतु शीघ्र ही आंतरिक संघर्ष के कारण इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। इसका उद्देश्य एक पृथक झारखंड राज्य की स्थापना करना, गैर-जनजातियों द्वारा जनजातियों का शोषण की समाप्ति तथा नियोजन में भूमि पुत्रों को प्राथमिकता देने की गारंटी देना था।

झारखंड मुक्तिमोर्चा ने उत्तरी छोटानागपुर के बड़े किसानों तथा महाजनों से हस्तांतरित जमीन की वापसी के लिए एक जनआंदोलन चलाया।

अक्टूबर 1977 ई० में झारखंड पार्टी के युवकवादी धारा का प्रारंभ हुआ। इसने न केवल बिहार (अविभाजित) के छोटानागपुर तथा संथाल परगना बल्कि उड़ीसा, प० बंगाल तथा मध्यप्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों को भी झारखंड राज्य में शामिल करने की मांग रखी।

21 मई 1978 ई० को हुए अखिल भारतीय झारखंड पार्टी सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि यदि 15 अगस्त 1978 ई० तक झारखंड राज्य की मांग पर विचार नहीं किया गया तो असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। पार्टी को और अधिक विस्तार देने तथा छात्र, किसान तथा महिला सहित युवाओं को भी कार्य प्रवृत्त करने का प्रस्ताव रखा गया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी तथा छोटानागपुर छात्र संघर्ष समिति मुख्य रूप से आंदोलन के सूत्रधार बने रहे। लेकिन झारखंड पार्टी की प्रत्यक्ष कार्यवाही

(कार्रवाई) की योजना असफल रही।

15 अक्टूबर 1978 ई० को झारखंड पार्टी, हुल झारखंड, भारतीय मुस्लिम लीग, कांग्रेस (रेड्डी गुट), बिरसा सेवा दल तथा रिवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों की रांची में एक वृहद सभा हुई। 1974 तक राजनीतिक आंदोलन लगभग मृतप्राय सा हो गया, यद्यपि सभा के प्रदर्शन जारी रहे।

22 जून 1986 ई० को जमशेदपुर में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टुडेन्टस यूनियन (आजसू) का प्रादुर्भाव हुआ। आजसू को C.P.I.L का समर्थन मिला। आजसू में बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी रही। आजसू ने आंदोलन के अन्तर्गत महिलाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया।

आजसू के गठन के बाद रामदयाल मुंडा एवं विशेश्वर प्रसाद केसरी की पहल पर झारखंड परिकल्पित क्षेत्रों में सभी राजनीतिक - सामाजिक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करने के लिए झारखंड समन्वय समिति का गठन जमशेदपुर में अक्टूबर 1986 ई० में किया गया। इसी वर्ष झारखंड समन्वय समिति का सम्मेलन हुआ। जून 1987 ई० में रामगढ़ के सम्मेलन के दौरान 48 प्रतिनिधि संस्थाओं को मिलाकर 25 सदस्यीय केन्द्रीय समिति का गठन किया गया, जिसके संयोजक विशेश्वर प्रसाद केसरी बनाए गए।

झारखंड समन्वय समिति के गठन के बाद झारखंड आंदोलन को एक नई

दिशा मिली। इस समिति ने झारखंड की समस्याओं से सम्बन्धित दिसम्बर 1987 ई० में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को एक ज्ञापन दिया, जिसमें बिहार (अविभाजित) उड़ीसा, प० बंगाल तथा मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य की मांग की। इस ज्ञापन में यह कहा गया कि लोगों का भारी शोषण किया जा रहा है इसलिए झारखंड समन्वय समिति ने सुझाव दिया कि झारखंड आंदोलन को सामाजिक, संस्कृतिक तथा आर्थिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करना होगा।

1990 के Bihar सभा चुनाव के दौरान 19 सीटों तथा 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3 सीटों पर विजय हासिल कर झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे शक्तिशाली हो गया।

तत्कालीन कांग्रेस (I) की केन्द्रीय सरकार के द्वारा केन्द्र तथा प्रांत सरकार के अधिकारियों तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों के चौदह प्रतिनिधियों को शामिल कर झारखंड मामलों की एक समिति गठित की गई। इस समिति में झारखंड मुक्तिमोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन, बिरज मंडल, आमसू नेता सूर्य सिंह बेसरा, झारखंड पार्टी के अध्यक्ष N. E. Horo, राँची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ० रामदयाल मुंडा तथा अन्य लोग शामिल किए गए। इसके अलावे तीन विरोधी भी इस समिति में शामिल किए गए।

संसदीय चुनाव के बाद केन्द्र में राष्ट्रीय

१९८९

मोर्चा की सरकार सत्तासीन हुई। छोटे राज्यों के गठन की हिमायती राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के समक्ष अब झारखंड अलग राज्य की मांग की समस्या उठ खड़ी हुई।

अप्रैल 1990 में झारखंड मामलों की समिति की बैठक दिल्ली में बुलाई गई। इस बैठक में कोई ठोस परिणाम सामने न आ सका।

कालान्तर में सदान विकास परिषद भी झारखंड आन्दोलन में शामिल हो गया। आंदोलनकारियों के बढ़ते दबाव के कारण 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र के विकास हेतु झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। तत्कालीन कल्याण तथा योजना मंत्री तुलसी सिंह द्वारा 9 अगस्त 1995 ई० को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद (JAAC) के प्रधान अध्यक्ष के रूप में शिबु सोरेन तथा उपाध्यक्ष के रूप में सूरज मंडल को 17 पार्षदों सहित शपथ दिलाई गई। बिहार सरकार के 16 प्रमुख विभागों को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अन्तर्गत हस्तांतरित किया गया। ये विभाग थे — (1) वन तथा पर्यावरण, (2) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, (3) खाद्य आपूर्ति तथा वाणिज्य, (4) स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार, (5) जल संसाधन (लघु सिंचाई), (6) स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण, (7) कल्याण, (8) ग्रामीण विकास (9) कृषि (10) ग्रामीण ~~विकास~~ अभियंत्रण संगठन (ग्रामीण) विभाग
(Engineering)

(11) उद्योग (12) भवन निर्माण एवं आवास (13) सड़क निर्माण, (14) पर्यटन, (15) माध्यमिक, प्राथमिक तथा वयस्क शिक्षा, तथा (16) पशुपालन व मत्स्य।

झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अन्तर्गत 180 सदस्यों (162 निर्वाचित तथा 18 सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य) का प्रावधान रखा गया। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने का प्रावधान था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए आरक्षित किया गया। 9 दिसम्बर 1995 ई० को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के प्रथम सत्र का उद्घाटन तथा सम्बोधन बिहार राज्य के तत्कालीन राज्यपाल डॉ ए० आर० किदवई द्वारा किया गया, जिसके अन्तर्गत झारखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया।

1996 लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पृथक वनांचल राज्य के गठन का समर्थन किया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी इसका हिमायती रहा। केन्द्र वनांचल सम्बन्धी विधेयक लोकसभा के पटल पर रखा, किंतु राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उसका विरोध किया गया। इसी बीच केन्द्र की वाजपेयी सरकार सुश्री जयललिता द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण गिर गई। पुनः जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 1999 ई० के दरम्यान सत्ता में आई तो अलग वनांचल राज्य के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराई। इसी

बीच बिहार में फरवरी, 2000 ई० में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के कारण (विखंडित जनादेश) राजनीतिक परिदृश्य बदला। राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा। चूंकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पृथक झारखंड राज्य का समर्थन कर रहा था, इसलिए उसने पृथक झारखंड राज्य के गठन के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में सरकार बनाने में सहयोग किया। इस बार राष्ट्रीय जनता दल तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सहयोग से बनी बिहार की सरकार ने वनांचल विधेयक मामूली संशोधनों के साथ बिहार विधानमंडल में पारित कर दिया। इन संशोधनों में प्रस्तावित राज्य का नाम वनांचल से बदलकर झारखंड रखने की भी अनुशंसा की गई।

2 अगस्त 2000 ई० को लोकसभा ने देर रात तक बैठकर बिहार के 18 जिलों राँची, लोहरदगा, गुमला, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम तथा प० सिंहभूम को मिलाकर पृथक झारखंड राज्य के गठन से सम्बन्धित विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक पर सात घंटे तक चर्चा हुई। बहस के दौरान समता तथा जदयू के सांसदों ने विधेयक का विरोध किया, किंतु भाजपा आदि दलों तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया। शेष बिहार के लिए आर्थिक पैकेज की माँग भी उठी। विधेयक को संसद की किसी समिति के पास

मेजों की मांग उठाई गई। परंतु विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए तथा सरकारी संशोधन स्वीकार कर लिए गए।

11 अगस्त 2000 ई० को राज्यसभा ने भी झारखंड विधेयक को ध्वनिमत से अपनी मंजूरी दे दी।

26 अगस्त 2000 ई० को भारत के राष्ट्रपति श्री के०आर० नारायणन ने झारखंड विधायक (बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000) को अपनी स्वीकृति दे दी, जिसके साथ ही बिहार विभाजन की अंतिम संवैधानिक औपचारिकता भी पूरी हो गई। 14 नवम्बर 2000 ई० को मध्यरात्रि के बाद श्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड भारत के 28वाँ राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक से चला आ रहा जनजातीय स्वायत्तता आंदोलन अंततः लम्बे संघर्ष के बाद पृथक झारखंड राज्य की स्थापना कराने में सफल हुआ।